न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 174 / 2025	2025 / 407	01.12.2025	30.03.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

01. अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ग्राम बहाला, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रवर्तन अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि।

––:: निर्णय ::––

प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6"ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 10.10.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, बहमराह श्री बनवारी लाल, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ग्राम बहाला, तहसील रामगढ़, जिला अलवर के गौतम जनरल स्टोर, बहाला स्टेण्ड, ग्राम बहाला, तहसील रामगढ स्थित दुकान पर पहुंचे।

मौके पर श्री अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ग्राम बहाला, तहसील रामगढ, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह की दुकान पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री फूल सिंह द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० रिद्धि–सिद्धि गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री खेमचंद पुत्र श्री कुंदनराम, निवासी रूपबास, अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायालय हाजा द्वारा प्रेषित नोटिस कमांक–18 दिनांक 04.02 2026 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी रामगढ़ (अलवर) की

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

टीम द्वारा दिनांक 10.10.2025 को मेरे घर से पाँच घरेलू सिलेण्डर जब्त किए गए थे। पाँचो सिलेण्डरों में से चार हमारे स्वयं के घर के (पिता व तीन भाइयो के) एवं एक पडोसी का रखा हुआ था उस दिन घर पर दिपावली के उपलक्ष में साफ सफाई चल रही थी इसलिए ये सिलेण्डर घर के बाहर रखे थे, प्रवर्तन अधिकारी टीम ने सभी सिलेण्डर जब्त कर लिए और मोके पर साक्ष्य मागे थे किन्तु मेरा बड़ा भाई घर का सामान लेने बाजार गया हुआ था गैस की सभी पासबुके भाई की अलमारी में रखी हुई इसलिए उस समय में साक्ष्य नहीं दे सका। सभी सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	सिलेण्डर क्रमांक	उपभोक्ता क्रमांक	एजेंसी का नाम
1.	फूलसिंह पुत्र दिलसुख (पिता)	015285	605250	HPCL
2.	मामचन्द पुत्र फूलसिंह (भाई)	755393	603943	HPCL
3.	अनिल कुमार पुत्र फूलसिंह (स्वयं)	181605	609895	HPCL
4.	अनिता पत्नी राकेश पुत्र फूलसिंह (भाई)	321546	7069439517	IOCL
5.	पिंकी पत्नी प्रमोद कुमार (पडौसी)	182016	614695	HPCL

श्रीमान जी उपरोक्त पाँचों सिमेण्डर हमारे स्वय के घरेलू है। हम सभी एक साथ एक ही मकान में रहते है, आपसे विनम्र आग्रह हैं कि, उत्त, सिलेंडरों को मुझे दिलवाने का श्रम करे।

उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रवर्तन अधिकारी का कथन है कि दिनांक 10.10.2025 को विभागीय टीम द्वारा ग्राम बहाला स्थित गौतम जनरल स्टोर पर जांच की गई। मौके पर अप्रार्थी अनिल कुमार उपस्थित मिले तथा उनकी दुकान से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। मौके पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, इसे व्यावसायिक उपयोग मानते हुए सिलेण्डरों को जब्त कर मै० रिद्धि–सिद्धि गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री खेमचंद को सुपुर्दगी में दिया गया तथा राजसात करने का निवेदन किया गया।

जवाब में अप्रार्थी अनिल कुमार ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अप्रार्थी का तर्क है कि उक्त 5 घरेलू सिलेण्डर उसकी दुकान से नहीं, बल्कि घर से जब्त किए गए थे। इनमें से चार सिलेण्डर उनके संयुक्त परिवार (पिता व तीन भाइयों) के वैध गैस कनेक्शन के हैं तथा एक पड़ोसी का रखा हुआ था। अप्रार्थी के अनुसार, दीपावली के उपलक्ष्य में घर में साफ–सफाई चल रही थी, जिस कारण सिलेण्डर घर के बाहर रखे गए थे। मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने का कारण यह था कि गैस पासबुकें बड़े भाई की अलमारी में रखी थीं और वह बाजार गया हुआ था। अप्रार्थी ने अपने घरेलू गैस कनेक्शनों की वैधता के समर्थन में पासबुक/दस्तावेज प्रस्तुत कर सिलेण्डर वापस दिलाने का विनम्र आग्रह किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बनाए गए जब्ती मेमो और प्रस्तुत रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि मौके पर इन घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किसी व्यावसायिक गतिविधि (जैसे– व्यावसायिक भट्टी का चलना, व्यावसायिक स्तर पर भोजन या अन्य सामग्री का निर्माण आदि) में किया जा रहा था। केवल सिलेण्डरों का पाया जाना, व्यावसायिक उपयोग को प्रमाणित नहीं करता है। अप्रार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि दीपावली की सफाई के कारण सिलेण्डर बाहर रखे थे और संयुक्त परिवार होने के कारण एक ही मकान में उनके गैस कनेक्शन हैं, स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। अप्रार्थी ने यह स्पष्ट किया है कि जांच के समय बड़ा भाई घर पर नहीं था, जिससे तुरंत पासबुक प्रस्तुत नहीं की जा सकी। बाद में अप्रार्थी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम से जारी वैध गैस कनेक्शनों का हवाला दिया गया है, जिसका विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस खंडन नहीं किया गया है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः, जब अप्रार्थी के पास वैध गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं और विभाग द्वारा इन सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग का कोई प्रत्यक्ष एवं ठोस प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो मात्र संदेह के आधार पर इन घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर, (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज0)